

## फर्द अहकाम

असब प्रकरण संख्या 331/2015 अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार,  
बनाम रामेश्वरलाल वगैरा अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम : इस हुकम की तारीख में जारी हुई
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">174</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Rtd</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी परोकार सरकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी श्री कैलाश कुमावत उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण में यह जाहिर है कि अप्रार्थी अधिवक्ता श्री कैलाश कुमावत द्वारा बहस में अपने जबाव के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी जा रही है कि बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1740 रकबा 0.40 हैक्टर हमारे सामुहिक था। जिसे सभी सह खातेदारी द्वारा हनुमान पुत्र शंकर को बेचान कर देने से नामाकरण संख्या 2198 दिनांक 17.05.2016 से संपुर्ण भूमि अकेले हनुमान पुत्र शंकर कौम राव के नाम दर्ज की गई। उक्त भूमि किस्म बारानी सोयम का कृषि प्रयोजन ही मौके पर उपयोग में ली जा रही है। पडोस स्थित भूमि खसरा नंबर 1741 में आबादी की हुई है। वर्ष 2015 में ग्वार की फसल बोई गई थी तथा वर्ष 2016 में मूंग की फसल बोई गई। उक्त भूमि में मौके पर कोई प्लॉट नहीं काटे गये हैं एवं न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया हुआ है। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण को खारिज किये जाने की दलील दी। उपस्थित परोकार सरकार द्वारा वकील अप्रार्थी की दलीलो का खण्डन नहीं किया गया।</p> <p>पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण में यह जाहिर है कि प्रार्थी तहसीलदार, बाली द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1740 रकबा 0.40 हैक्टर का अकृषि प्रयोजन उपयोग में लिये जाने के तथ्य जाहिर करते हुये धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही का निवेदन किया गया। परन्तु अप्रार्थी पक्ष द्वारा अपने जबाव के समर्थन में जो अभिलेखीय साक्ष्य खसरा गिरदावरी की प्रतियाँ प्रस्तुत की गई हैं उनके अवलोकन से यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि वर्ष 2015 में ग्वार की फसल बोई गई थी तथा वर्ष 2016 में मूंग की फसल बोई गई थी। तथा साथ ही मौके के जो फोटो चित्र पेश किये गये है, उनके अवलोकन से भी यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि मौके पर किसी प्रकार के प्लॉट नहीं काटे गये हैं। इस प्रकार प्रकरण में वर्णित भूमि बीजापुर के खसरा नंबर 1740 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी सोयम का कृषि भिन्न उपयोग में लिया जाना प्रार्थी परोकार सरकार नहीं कर पाये हैं। लिहाजा प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	
	<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">4</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">उपखण्ड अधिकारी बाली</p>	